UPCH040046392019

न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, चित्रकूट|

जियाराम बनाम धर्मराज उर्फ बुद्धा आदि

परिवाद नं0-305/2019
धारा-356, 504, 506, 427 भा०दं०सं
थाना-रैपुरा, जिला चित्रकूट|

17.02.2025

लंच बाद

पत्रावली पेश हुई| पुकार पर परिवादी अनुपस्थित| परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं है| पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण सन् 2016 से लम्बित है| बार-बार आदेश के बावजूद परिवादी न तो उपस्थित हो रही है और न ही उसके द्वारा पैरवी की जा रही है| तलबी आदेश के बाद परिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है| प्रस्तुत प्रकरण काफी समय से अनावश्यक रूप से न्यायालय में लम्बित चल रहा है| दिनांक 06.12.2024 को परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया|अन्तिम अवसर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी उसकी ओर से बहस के लिए कोई उपस्थित नहीं है|प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा पैरवी न करना यह दर्शित करता है कि परिवादी को प्रस्तुत परिवाद के संचालन में कोई रूचि नहीं है|

अतः प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में अन्तर्गत धारा 204(4)दं० प्र० सं० खारिज किये जाने योग्य है|

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 204(4)दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है| पत्रावली दाखिल दफ्तर हो|

(अंजलिका प्रियदर्शिनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
चित्रकूट|
J.O.Code-UP3752

Digitally signed by ANJALIKA PRIYADARSHINI
Date: 2025.02.17 16:07:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court